न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-25/2021/टोंक

श्योंजीराम पुत्र बजरंगा जाति मीणा निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील उनियारा जिला टोंक।

-अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उनियारा जिला टोंक।

-रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 24.02.2021 प्रकरण संख्या 114/2017 बउनवानी श्योजीराम बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:-

1. अपीलांट अभि0- श्री आर0एस0राणावत
2. राजकीय अभि0- श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः-31.10.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चतरपुरा तहसील उनियारा के खसरा नम्बर 669/287 रकबा 0.18 हे0 बारानी एवं खसरा नम्बर 683/288 रकबा 0.01 हे0 गैर मुमकीन रास्ते पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने की वजह से प्रकरण संख्या 22/2017 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत बाद सुनवाई न्यायालय तहसीलदार उनियारा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.09.2017 से अपीलांट के विरूद्ध बेदखली, जुर्माना एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय सुनाया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के समक्ष की गई(प्रकरण संख्या 114/2017), उक्त अपील में बाद सुनवाई दिनांक 24.02.2021 को तहसीलदार उनियारा द्वारा किये गये निर्णय को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी।

जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपील खारिज करने के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बतायें गये है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

1. तहसीलदार उनियारा द्वारा अपीलांट को उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

2. निर्णय पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गई तथा पटवारी रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा विश्वास किया गया। अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 रेवन्युकोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

अपील के इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किया गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड की तलबी की जाकर रिकोर्ड प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक ने कहा कि हमारा कब्जा नहीं है तथा पश्चातवृति अतिक्रमी हम नहीं है। पटवारी से विवाद होने के कारण वह बार–बार ऐसी कार्यवाही करता है। तहसीलदार के न्यायालय में नोटिस देने के बाद आगे की कार्यवाही बाबत कोई प्रोसिडिंग दर्ज नहीं है। अपील स्वीकार की जायें। बहस में राजकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में की गई कार्यवाही को विधिवत कार्यवाही बताया तथा अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 का है तथा अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 04.08.2021 को दर्ज करवायी है। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए तथा स्युमोटो केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में अपील को अंदर मियाद माना जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार तहसीलदार उनियारा के निर्णय दिनांक 26.09.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हुआ है। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रमाणित प्रति पेश करने में छूट प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया हुआ है। जो तहसीलदार के स्थर पर पैडिंग है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार उनियारा के निर्णय दिनांक 26.09.2017 की प्रमाणित प्रति पेश करने में छूट प्रदान की जाती है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार यदि पुलिस प्रार्थी को गिरफतार करके जेल भेज देगी तो प्रार्थी के परिवार के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में बताया है तथा निवेदन किया है कि जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 24.02.2021 की पालना व प्रभाव एवं अपील निर्णय तक स्थगित रखा जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों पक्षों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णित प्रकरण

संख्या 22/2017 निर्णय दिनांक 26.09.2017 का अवलोकन किया गया। अतिक्रमण बाबत शिकायत पटवारी हल्का पलाई द्वारा की गई थी। अतिक्रमण दो खसरा नम्बर में बताया गया तथा निर्णय मुख्य रूप से पटवारी हल्का के बयान तथा राजस्व रिकोर्ड के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सही मानते हुए किया गया। प्रकरण संख्या 22/2017 की पटवारी हल्का की रिपोर्ट को देखा गया। उक्त रिपोर्ट किस दिनांक की है का अंकन नहीं है तथा अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 669/287 में 0.18 हे0 तथा खसरा नम्बर 683/288 गैरमुमकीन रास्ता में 0.01 हे0 भूमि पर अतिक्रमी बताया तथा उड़द की फसल का अंकन किया हुआ है के खेत में रास्ते पर पुनः अतिक्रमण दर्ज किया हुआ है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 18.07.2017 को एल0आर0एक्ट की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसमें संवत 2073 में भी अतिक्रमण किये जाने का हवाला दिया गया। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर श्योजीराम अंकित किया हुआ है। एक अन्य नोटिस दिनांक 16.09.2017 को दिया हुआ है। जिसके पीछे की तरफ बाद तामील पेश है लिखा हुआ है। मगर उक्त नोटिस पर श्योजीराम के अंगूठा निशानी या हस्ताक्षर नहीं है। एक फोर्मेट में पटवारी के बयान दृष्टिगत होते है। उक्त बयान किस तारीख को दिये गये है यह अंकित नहीं है।

तामील बाबत अपीलांट द्वारा उठाये गये आक्षेप बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अभी संवत 2074 प्रकरण संख्या 183 में अपीलांट श्योजीराम के विरूद्ध की गई बेदखली कार्यवाही, फसल निलामी कार्यवाही के दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो कार्यवाहियों में श्योजीराम द्वारा अंगूठा निशानी लगाई गई। जबकि संवत 2074 बाबत अपीलाधीन प्रकरण 22/2017 में तामील द्वारा भेजे गये नोटिसेज पर श्योजीराम का अंगूठा निशानी नहीं पाई गई है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित नोटिस में श्योजीराम अंकित है। कोई अंगूठा निशानी नहीं है तथा दूसरे नोटिस में भी कोई अंगूठा निशानी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट श्योजीराम को व्यक्तिगत तौर पर कोई नोटिस की तामील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करवायी गयी। उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रथम अपील न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है। प्रथम अपील न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर भी श्योजीराम द्वारा अंगूठा निशानी किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा का यह मानना है कि अपीलांट की व्यक्तिगत तामील तहसीलदार न्यायालय के समक्ष नहीं हुई है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि बिना तामील करवाये अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय दिया गया था। उक्त निर्णय में भी तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व कोई स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज नहीं करवाये गये। मात्र पटवारी के बयान को सत्य मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2017 दिया गया था। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना कोई विवेचन किये सही मान लिया गया, जो उचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार योग्य होना माना जाकर अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश में दिये गये सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2021 द्वारा जिला कलक्टर टोंक अन्तर्गत प्रकरण संख्या 114/2017 तथा तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 22/2017 निर्णय दिनांक 26.09.2017 अन्तर्गत एल0आर0एक्ट 91(3) में सुनाई गई 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:49 IST
Reason: SelfAttested